# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील/डिक्री/टी.ए./4854/2005/नागौर**

1– मिश्रीलाल पुत्र भगवानदास जाति साद, निवासी हरीमा की ढाणी तहसील व जिला नागौर जरिये संरक्षक धर्मपत्नि उच्छव कंवर निवासी हरीमा की ढ़ाणी तहसील व जिला नागौर।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1– पूनमचन्द पुत्र भगवानदास
2– मु0 केसर बेवा भगवानदास
3– सीतादेवी बेवा नरसिंह दास पुत्र भगवानदास
सभी जाति साद निवासी पुरानी धान मण्डी, नागौर तहसील व जिला नागौर।
4– हरीदास ) पुत्रान भगवानदास जाति साद निवासी करणी
5– शंकरदास ) कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

**खण्ड–पीठ**

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य

**उपस्थितः**

श्री सोहनपाल सिंह चौधरी अधिवक्ता, अपीलार्थी।
प्रत्यर्थी एवं उसके अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित।

**–निर्णय–**

दिनांकः– 16 मार्च, 2026

हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या– 07/2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–9–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं0–1 से 3/ वादीगण ने अपीलार्थी एवं शेष प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 इस आशय का पेश किया कि खसरानंबर 65, 66 एवं 67 कुल किता 3 कुल रकबा 58 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम हरीमा की ढाणी स्व0 भगवानदास पुत्र रघुवरदास के खातेदारी की थी, जिनके स्वर्गवास के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम नामांतरकरण जारी हुआ। मूल खातेदार भगवानदास के मरने के बाद पक्षकारान ने आपस में बंटवारा कर लिया जिसका वाद पत्र के पैरा सं0–3 में वादीगण ने किस व्यक्ति के हिस्से में कितनी भूमि आई है इसका पूर्णतया वर्णन किया गया है। उन्होंने वाद पत्र में यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी सं0 1 मिश्रीलाल मंद बुद्धि व्यक्ति है जिसकी पत्नी पुष्पकंवर को उसका गार्जियन बनाया गया है और मौके पर वह ही काश्त करती है। राजस्व वाद सं0 86/95 जो कि इन खेतों के डोली के सम्बन्ध में है। यह वाद न्यायालय में पेश करते ही आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान अनुसार उसे विड्रो कर लिया जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डोलिया एवं खेत जप्त हो जाने से तथा दिनांक 01–01–2000 से पूर्व दावा समाप्त हो जाने से यह वाद पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण खेतों के संबंध में आपस में वादीगण से लड़ते रहते हैं,शांतिपूर्ण रूप से काश्त नहीं करने देते, अतः धारा 188 आरटीएक्ट के अन्तर्गत प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि वादीगण अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण काश्त कर सके। आगे यह भी कथन किया कि बंटवारा समझौता अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। वाद के विचाराधीन रहते पक्षकारान द्वारा एक रजीनामा पेश करने से उसके अनुसार विचारण न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–02–2003 पारित कर दिया। उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–02–2003 के विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थी/प्रतिवादी सं0–1 मिश्रीलाल की पत्नी उच्छव कंवर ने सभी पक्षकारान को प्रत्यर्थी एवं स्वयं के पति मिश्रीलाल को भी प्रत्यर्थी सं0 4 दर्शात हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष अपील पेश की। साथ में धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पेश किये की अनुमति एवं धारा 5 का प्रार्थना पत्र वास्ते देरी को कण्डोन किये जाने पेश किया। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री 22–9–2005 द्वारा अपील में अपीलांट की अपील को लोकस स्टैण्डाई के बिन्दु पर खारिज किए जाने से व्यथित होकर हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील–मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा हो रखा है जिसके अनुसार अपीलार्थी/प्रतिवादी मिश्रीलाल का खसरा नंबर 67 रकबा 57 बीघा में केसर व सीतादेवी के पश्चिमी दिशा में 10 बीघा भूमि आई है जिसमें अपीलार्थी मिश्रीलाल की रहवासीय ढाणी है जिसकी ताईद मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 27–7–2005 तथा 07–4–2005 से भी स्पष्ट है। परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण (प्रत्यर्थी सं0 1 से 3) एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 (प्रत्यर्थी सं0 4 एवं 5) ने आपस में मिलीभगत करके राजीनामा दिनांक 11–02–2003 को पेश करके अपीलार्थी मिश्रीलाल के

कब्जा काश्त एवं बंट में आई खसरा नंबर 67 की पश्चिमी दिशा की भूमि पर चालाकी से वादी सं0 1 पूनमचन्द ने अपने पक्ष में बंटवारा की डिक्री पारित करवा दी एवं अपीलांट मिश्रीलाल के पक्ष में खसरा नंबर 67 की उत्तरी दिशा की बंटवारा की डिक्री पारित करवा दी, जो कि मौका अनुसार नहीं है। उनका कथन है कि राजीनामा मिश्रीलाल द्वारा नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने धारा 53 आरटीएक्ट के वाद में प्रारिम्भक डिक्री पारित नहीं करवाकर सीधे ही अन्तिम डिक्री पारित किया जाना विधि विरूद्ध है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने गलत आधार पर अपील को लोकस स्टेण्डाई पर खारिज किया है कि जबकि वाद पत्र में यह तथ्य वादीगण ने स्वीकार किया है कि मिश्रीलाल मन्द बुद्धि व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में संरक्षक के तौर पर मिश्रीलाल की पत्नी उच्छव कंवर ने धारा 223 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की थी जिसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर खारिज करने में विधिक भूल की गई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जावे तथा मैखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

4– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। अतः विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस में दिये गये तथ्यों/ तर्को पर मनन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वाद सं0 128/2000 उनवानी पूनमचन्द वगैरह बनाम मिश्रीलाल वगैरह धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया गया है। वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना इकबाली जवाब दावा पेश किया है। किन्तु प्रतिवादी मिश्रीलाल, जो कि एक मन्दबुद्धि व्यक्ति है उसके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किये जाने से उसका जवाब बन्द किया गया है, तदुपरान्त पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा दिनांक 11–02–2003 को तस्दीक हो जाने से विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–02–2003 द्वारा सभी पक्षकारान के मध्य भूमि बंटवारा अंकित करते हुए अन्तिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में पक्षकारान हरीमा, पूनमचन्द, श्रीमती सीतादेवी को कौनसी भूमि दी जानी है इसका अंकन किया है तथा खसरा नंबर 67 का उत्तरी हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 से 3 को भूमि दिये जाने का अंकन किया है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10–02–2003 व प्रस्तुत राजीनामें के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि राजीनामा वादी पूनमचन्द, केसर, सीतादेवी व प्रतिवादी संख्या 2 हीरादास, शंकरदास ने पेश किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा से यह जाहिर होता है कि प्रतिवादी मिश्रीलाल अथवा पुष्पकंवर द्वारा राजीनामें पर कोई रजामंदी अथवा सहमति व्यक्त नहीं की गई है।

6– इसी क्रम में अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी है, कि विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर मिश्रीलाल पुत्र भगवानदास जरिये पुष्पकंवर हरीमा की ढाणी तहसील नागौर को नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी नोटिस मिश्रीलाल अथवा पुष्पकंवर को विधिवत तामील नहीं होकर मिश्रीलाल के भाई शंकरदास द्वारा तामील किये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मिश्रीलाल पुत्र भगवानदास अथवा पुष्पकंवर को विधिवत तामील सुनिश्चित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 मिश्रीलील अथवा जरिये पुष्पकंवर की विधिवत तामील एवं तथाकथित राजीनामा में सभी पक्षकारों की सहमति के आधार पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में युक्तियुक्त एवं तर्कसंगन निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है।

7– प्रकरण में जहाँ तक विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील की वैधानिकता का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मिश्रीलाल की पत्नी उच्छवकंवर द्वारा अपील पेश करते हुए मिश्रीलाल को बतौर प्रतिवादी स्थापित किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मिश्रीलाल की पत्नी उच्छवकंवर द्वारा प्रस्तुत अपील को लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर खारिज कर दिया गया। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो मिश्रीलाल की पत्नी को अपने आपको संरक्षिका बनाते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील पेश करनी चाहिए थी, न कि मिश्रीलाल को प्रत्यर्थी बनाकर। अपीलीय न्यायालय ने लोकस स्टेण्डाई के बिन्दु पर अपील खारिज करने में त्रुटि नहीं की है किन्तु न्यायालय का यह भी कर्त्तव्य है कि वह पक्षकारान के हितों को देखते हुए गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करें क्योंकि इस प्रकरण में मिश्रीलाल मन्दबुद्धि व्यक्ति है, जिसने प्रथम अपील एवं इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कथन किया है कि उसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये है और विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर ही वाद डिक्री किया है।

8– प्रकरण में चूंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि है। जिसके विभाजन की मांग राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 सपठित धारा 188 के तहत की गई थी। वादग्रस्त भूमि की स्थिति को दृष्टिगत् रखते हुए यह आज्ञापक है कि यदि पक्षकारों द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त राजीनामा सभी पक्षकारों की सहमति से प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। प्रकरण में न्यायालय के समक्ष यह स्थिति भी प्रकट है कि प्रतिवादी संख्या – 1 मिश्रीलाल मंदबुद्धि है। इस संबंध में विधायिका द्वारा मंदबुद्धि पक्षकार के बाबत् वादार्थ संरक्षक की नियुक्ति के क्या प्रावधान निहित रहे है, का अवलोकन किया गया। इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 32 नियम 15 का अवलोकन किया।

9– जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है किः– नियम 1 से नियम 14 तक का (जिनमें नियम 2क सम्मिलित नहीं है) विकृतचित्त वाले व्यक्तियों को लागू होना – नियम 1 से 14 तक (जिनमें नियम 2 क सम्मिलित नहीं है) ऐसे व्यक्तियों को, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे जो वाद के लम्बित रहने के पूर्व या उसके दौरान विकृतचित्त के न्यायनिर्णीत किये जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होंगे जो यद्यपि ऐसे न्यायनिर्णीत नहीं किये जाते है, किन्तु जब वे वाद लाते हैं या उनके विरूद्ध वाद लाया जाता है तब वे न्यायालय द्वारा जाँच किये जाने पर किसी मानसिक दौर्बल्य के कारण अपने हित की संरक्षा करने से असमर्थ पाये जाते है।

10– इसी क्रम में आदेश 32 नियम 3 का भी अवलोकन किया गया। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है किः– जहाँ प्रतिवादी विकृतचित्त है, वहाँ न्यायालय उसकी विकृतचित्तता के तथ्य के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उचित व्यक्ति को ऐसे विकृतचित्तता के लिये वादार्थ संरक्षक नियुक्त करेगा।

11– प्रकरण में चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 मिश्रीलाल विकृतचित्त व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के उपरोक्त उपबंधों के तहत प्रतिवादी संख्या – 1 मिश्रीलाल की विकृतचित्तता के संबंध में विधिक कार्यवाही किये जाने एवं विचारण न्यायालय के स्तर पर ही पुनः राजीनामें की जांच/वैधानिकता का निर्धारण कर पक्षकारों को सुनवाई का पुनः अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय कराया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

12– परिणामतः अपीलार्थी की हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–9–2005 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–02–2003 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवचेन की रोशनी में राजीनामें के बारे में की गई आपत्ति तथा मौके की स्थिति के अनुसार वादपत्र का निस्तारण करें।

13– उभय पक्षकारान को न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर के समक्ष दिनांक 17–04–2026 को उपस्थित होने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(राजेन्द्र सिंह कविया)**
**सदस्य**

**(राजेश कुमार दड़िया)**
**सदस्य**